NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 05-10-2026

विषय सूची

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में संवर्ग प्रबंधन एवं भारतीय पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर विमर्श

एनिमल-आधारित कूटनीति

आगामी पीढ़ी का जीएसटी और भारत के विकास का आगामी चरण

हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना

संक्षिप्त समाचार

रामप्पा मंदिर

अंतर-संसदीय संघ (IPU)

PM-SETU: भारत के ITI के रूपांतरण का एक वर्ष

अमेरिका का AI समझौता

रेबीज़

अग्निपथ योजना

तुवालु (Tuvalu)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में संवर्ग प्रबंधन एवं भारतीय पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति पर विमर्श

संदर्भ

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के अधिकारियों की सेवा-प्रगति एवं पदोन्नति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे विवाद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, संगठित समूह 'क' सेवा का दर्जा तथा पदोन्नति में गतिरोध जैसे मुद्दों पर पुनः विमर्श को शुरू कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- यह विवाद मुख्यतः पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित है—केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) तथा सशस्त्र सीमा बल (SSB)।
- इनमें से प्रत्येक बल में समूह 'क' के कार्यकारी अधिकारियों का अपना संवर्ग है। इन अधिकारियों की सामान्यतः सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती होती है तथा वे पदानुक्रम में आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ कमान पदों तक पहुँच सकते हैं।
  - हालाँकि, वरिष्ठ पदों को परंपरागत रूप से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी भरा जाता रहा है, विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा।
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2026 से पहले, भर्ती नियमों के अनुसार उप महानिरीक्षक (DIG) के 20% तथा महानिरीक्षक (IG) के 50% पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान था।
- वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग के अधिकारियों को संगठित समूह 'क' सेवा (OGAS) का दर्जा तथा गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान किया।
  - NFFU के अंतर्गत, यदि पर्याप्त रिक्तियों के अभाव में नियमित पदोन्नति में विलंब होता है, तो पात्र अधिकारियों को उच्चतर ग्रेड के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।

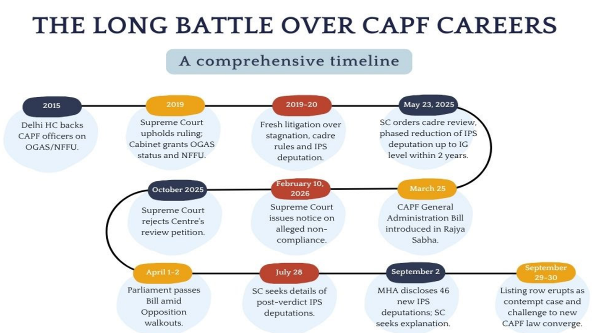

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि—
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समूह 'क' अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए "संगठित सेवाओं" के रूप में माना जाए।
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) के पदों अर्थात् महानिरीक्षक (IG) के पद तक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अधिकतम दो वर्ष की बाह्य समय-सीमा के भीतर क्रमशः कम किया जाए।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026

- यह अधिनियम पाँचों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समूह 'क' अधिकारियों के लिए एक समेकित विधिक ढाँचा स्थापित करता है तथा केंद्र सरकार को भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा-शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- **प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले पद:** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निम्नलिखित पद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने होंगे—
  - महानिरीक्षक के 50% पद।
  - अतिरिक्त महानिदेशक के न्यूनतम 67% पद।
  - महानिदेशक तथा विशेष महानिदेशक के सभी पद।
  - अन्य विधियों पर अधिभावी प्रभाव
- यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान और किसी अन्य विधि के बीच असंगति उत्पन्न होती है, तो इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

गृह मंत्रालय की भूमिका

- गृह मंत्रालय (MHA) भारतीय पुलिस सेवा तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, दोनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- गृह मंत्रालय ने परंपरागत रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया है—
  - पुलिसिंग संबंधी अनुभव का समावेश: राज्य संवर्गों से पुलिसिंग का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को लाकर केंद्रीय बलों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
  - नेतृत्व में एकरूपता: सभी बलों में नेतृत्व के समान मानक बनाए रखना।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित चिंताएँ

- **सेवा-प्रगति में गतिरोध:** वरिष्ठ पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए उच्च स्तर के आरक्षण, जैसे महानिरीक्षक के 50% पद, के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संवर्गीय अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - औसतन, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिकारी को कमांडेंट के पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लगते हैं, जबकि आदर्श रूप से यह पद 13 वर्षों में प्राप्त हो जाना चाहिए।
- **संगठनात्मक अखंडता का ह्रास:** भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संस्थागत स्वायत्तता प्रभावित होती है तथा विशिष्ट एवं पेशेवर बलों के रूप में इनके दीर्घकालिक व्यावसायीकरण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **प्राकृतिक न्याय एवं समानता के सिद्धांत का प्रश्न:** अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता) के प्रावधान इस संदर्भ में प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संवर्गीय अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तुलना में समान पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते।

आगे की राह

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संवर्ग प्रबंधन और भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति से संबंधित विमर्श केवल व्यक्तिगत पदोन्नति के विवाद तक सीमित नहीं है।
- यह बलों के व्यावसायीकरण, संस्थागत निरंतरता, परिचालन दक्षता तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की संरचना से संबंधित व्यापक प्रश्न है।
- एक टिकाऊ व्यवस्था में सीमित प्रतिनियुक्ति के परिचालन लाभों तथा स्थायी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संवर्गों के लिए सार्थक सेवा-प्रगति के अवसरों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही, भर्ती, पदोन्नति एवं वरिष्ठ कमान से संबंधित नियम स्पष्ट, सुसंगत तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है।
- ये बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निम्नलिखित संगठन सम्मिलित हैं—
  - **असम राइफल्स (AR):** यह एक केंद्रीय पुलिस एवं अर्धसैनिक संगठन है, जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद-रोधी अभियानों तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
  - **सीमा सुरक्षा बल (BSF):** यह मुख्यतः पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात किया जाता है। वर्ष 2009 से इसे वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है।
  - **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP):** यह भारत-चीन सीमा पर सीमा सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है।
  - **सशस्त्र सीमा बल (SSB):** यह भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा करता है।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG):** यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत आतंकवाद-रोधी बल है। इसके सभी कार्मिक अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।
  - **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF):** यह मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा संबंधी दायित्वों के लिए तैनात किया जाता है तथा पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर में इसकी व्यापक तैनाती रहती है।
  - **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF):** यह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रतिष्ठानों तथा देश के प्रमुख हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्वाचन ड्यूटी, अन्य आंतरिक सुरक्षा दायित्वों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है।

स्रोत: IE

एनिमल-आधारित कूटनीति

संदर्भ

- हाल ही में हुई अमेरिका–चीन द्विपक्षीय बैठक के बाद "पांडा कूटनीति" पुनः चर्चा में आई है। इस दौरान चीन ने अमेरिका को दो विशाल पांडा दीर्घकालिक पट्टे पर देने पर सहमति व्यक्त की।

पांडा कूटनीति

- पांडा कूटनीति से आशय चीन द्वारा विदेशी देशों को राजनयिक सद्भावना के संकेत के रूप में विशाल पांडा भेजने की दीर्घकालिक परंपरा से है।

- इसकी शुरुआत 1957 में हुई, जब चीन ने सोवियत संघ को पांडा उपहार में दिए।
- इसके बाद 1972 में चीन और अमेरिका के बीच पांडा का आदान-प्रदान हुआ।
- 1984 से चीन ने पांडा को उपहार में देना बंद कर दिया और इसके स्थान पर दीर्घकालिक समझौतों के अंतर्गत उन्हें पट्टे पर देना शुरू किया। सामान्यतः ऐसे समझौते 10 वर्षों के लिए होते हैं।

एनिमल -आधारित कूटनीति

- एनिमल-आधारित कूटनीति से आशय राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने, सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करने तथा देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का उपहार, पट्टे या राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में रणनीतिक उपयोग करने से है।
- **प्राचीन परंपरा:** यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मिस्र के फिरौन भूमध्यसागरीय क्षेत्र के प्राचीन शासकों को अफ्रीकी पशु भेजा करते थे।
  - इसी प्रकार, रोमन साम्राज्य भी विदेशी एवं दुर्लभ प्रजातियों के पशुओं का प्रदर्शन करता था, जिसके माध्यम से वह अपने क्षेत्रीय नियंत्रण एवं साम्राज्यिक विस्तार को प्रदर्शित करता था।
- **सॉफ्ट पावर के रूप में:** एनिमल-आधारित कूटनीति के माध्यम से दाता देश या सरकार औपचारिक राजनयिक माध्यमों को दरकिनार करते हुए सीधे दूसरे देश की आम जनता से जुड़कर अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कर सकती है।
- **राजनीतिक महत्त्व:** इस प्रकार का आदान-प्रदान यह संकेत देता है कि दाता देश को विश्वास है कि प्राप्तकर्ता देश एक जिम्मेदार मेजबान के रूप में पशुओं की देखभाल करने में सक्षम है।
  - दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों के मामले में, यह संरक्षण का दायित्व प्राप्तकर्ता देश पर डालता है, इस अपेक्षा के साथ कि वह विदेशी पर्यावास में भी संबंधित पशु के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।
  - इस प्रकार, इन पशुओं का कल्याण एवं स्वास्थ्य स्वयं द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थिति के सूचक बन जाते हैं।

एनिमल-आधारित कूटनीति का भारतीय उदाहरण

- भारत और नामीबिया के बीच वर्ष 2022 में "प्रोजेक्ट चीता" के अंतर्गत सहयोग एनिमल-आधारित कूटनीति का एक प्रमुख उदाहरण है।
- इसके बाद के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से अफ्रीकी चीतों के दो और जत्थे भारत पहुँचे।
- वर्ष 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पाँच मोर उपहार में दिए, जिन्हें जिनेवा स्थित उसके यूरोपीय मुख्यालय में रखा जाना है।

विशाल पांडा

- **सामान्य नाम:** विशाल पांडा
- **वैज्ञानिक नाम:** ऐलुरोपोडा मेलानोल्यूका
- **वर्ग:** स्तनधारी
- **आहार:** सर्वाहारी
- **प्राकृतिक पर्यावास में औसत जीवनकाल:** लगभग 20 वर्ष
- **पर्यावास:** दक्षिण-पश्चिमी चीन के धुंध से घिरे, वर्षा-प्रधान पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित घने बाँस के वन।
- **प्राकृतिक रूप से वितरण:** वर्तमान में जंगली विशाल पांडा केवल चीन में पाए जाते हैं।
- **आईयूसीएन संरक्षण स्थिति:** सुभेद्य

स्रोत: IE

आगामी पीढ़ी का जीएसटी और भारत के विकास का आगामी चरण

संदर्भ

- जीएसटी के लागू होने के नौ वर्ष पश्चात, सरकार सुधारों के एक नए चरण की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य अनुपालन के भार को कम करने के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से वर्ष 2017 में पूरे देश के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया था।
- यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला गंतव्य-आधारित कर है।
- यह विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है।
  - केवल मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है और कर का भार अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।
- इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त होता है, जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है। इसके तीन प्रकार हैं:

NEXT IAS हिन्दी

- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST):** केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
- **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (SGST/UTGST):** राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है।
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST):** वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
- केंद्र सरकार, आईजीएसटी के एसजीएसटी/यूटीजीएसटी हिस्से को उस गंतव्य राज्य को हस्तांतरित करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खातों का निपटान करती है, जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग किया गया है।

- जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है।
  - यह एक संघीय निकाय है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
  - जीएसटी परिषद के सदस्य लगभग सभी जीएसटी संबंधी निर्णय आम सहमति से लेते हैं।
- **कर-मुक्त वस्तुएँ:** जीएसटी मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा तथा पांच पेट्रोलियम उत्पादों—पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल—को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ये उत्पाद केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए समान रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

आगामी पीढ़ी के जीएसटी के बारे में

- लगभग नौ वर्षों के कार्यान्वयन के बाद, सरकार ने आगामी पीढ़ी के जीएसटी के माध्यम से दो व्यापक चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है:
  - **दर युक्तिकरण**, जिसे पहले ही लागू किया जा चुका है।
  - **अनुपालन में सुगमता**, जो सुधारों का आगामी चरण है।
- कर दरों का युक्तिकरण सितंबर 2025 से लागू किया गया। वस्तुओं और सेवाओं, दोनों के लिए कर की तीन दरें हैं: **5%, 18% और 40%**।
- इन सुधारों के अंतर्गत जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया, जिसका व्यापक उद्देश्य जटिलता को कम करना और कई वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर का भार घटाना है।
- **जीएसटी सुधारों का आगामी चरण:** यह निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है;
  - **सरल पंजीकरण:** छोटे व्यवसायों को विशेष रूप से कम कर-चोरी जोखिम वाले मामलों में तीव्र और अधिक पूर्वानुमेय प्रक्रिया के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।
  - **सरल रिटर्न दाखिल करना:** अनावश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करने और स्वचालन बढ़ाने से व्यवसायों द्वारा अनुपालन में लगाए जाने वाले समय एवं प्रशासनिक संसाधनों को कम किया जा सकता है।
  - **त्वरित रिफंड:** निर्यातकों और पर्याप्त इनपुट कर वाले व्यवसायों के लिए समय पर रिफंड महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देरी से कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो सकती है।
  - **बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट:** पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्वानुमेय प्रवाह आपूर्ति शृंखला में अंतर्निहित कर भार को कम कर सकता है और व्यवसायों की कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार कर सकता है।
  - **त्वरित विवाद समाधान:** इससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों को कम किया जा सकता है और व्यवसायों को उनकी कर देनदारियों के संबंध में अधिक निश्चितता प्राप्त हो सकती है।

कर दरों के युक्तिकरण के बाद जीएसटी का प्रदर्शन

- अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच रिपोर्ट की गई कर योग्य आपूर्तियों का मूल्य, विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8% बढ़ा।
- अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह ₹12.46 लाख करोड़ रहा, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6% अधिक है।
- B2C बिक्री में 26.7% की वृद्धि हुई, जो उपभोक्ता-केंद्रित आर्थिक गतिविधियों में अधिक सुदृढ़ता को दर्शाती है।

- अगस्त 2026 तक जीएसटी पंजीकरणों की संख्या लगभग 1.71 करोड़ तक पहुँच गई, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15% अधिक है।

आगे की चुनौतियाँ

- **छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का भार:** डिजिटलकरण के बावजूद, छोटे व्यवसायों को नियमों को समझने, रिकॉर्ड बनाए रखने और रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी विवाद:** पात्र क्रेडिट से संबंधित देरी, विसंगतियाँ और अनिश्चितता कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध कर सकती हैं।
- **रिफंड में देरी:** रिफंड में देरी से निर्यातकों और अन्य पात्र करदाताओं पर पर्याप्त तरलता लागत का भार पड़ सकता है।
- **कर विवाद:** वर्गीकरण, मूल्यांकन, छूट और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बार-बार होने वाले मुकदमे कर संबंधी निश्चितता को कम कर सकते हैं।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** आगे के सुधारों के लिए जीएसटी परिषद के अंतर्गत निरंतर सहमति आवश्यक होगी, क्योंकि जीएसटी में बदलाव सरकार के दोनों स्तरों के राजस्व और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सीधे प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- जीएसटी के आगामी चरण में केवल राजस्व संग्रह बढ़ाने के बजाय करदाता-केंद्रित जीएसटी प्रशासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को विशेष रूप से कम जोखिम वाले करदाताओं के लिए अधिकाधिक स्वचालित, जोखिम-आधारित और सरल बनाया जाना चाहिए।
- जीएसटी परिषद को कर सरलीकरण और राज्यों के राजस्व हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप कार्य करना जारी रखना चाहिए।

स्रोत: TH

हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना

संदर्भ

- नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा, ने देश के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, लेकिन इन स्रोतों की परिवर्तनशील प्रकृति ने पारेषण नियोजन और ऊर्जा भंडारण के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

(GEC-III) योजना के बारे में

- 300 GW से अधिक स्थापित क्षमता के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के परिनियोजन के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
    - हालाँकि, इस वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से शाम के समय मांग के चरम पर, हरित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है।
- हाल ही में अनुमोदित केंद्र सरकार की **हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना** इसी बाधा को दूर करने का प्रयास करती है।
- **हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) योजना:** इसमें नवीकरणीय ऊर्जा (RE) डेवलपर/उत्पादक के स्तर पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर **50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
    - इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2032-33 तक **अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों (InSTS)** के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - ग्रिड में लचीलापन बढ़ने से ऊर्जा की अनिरंतरता, ग्रिड पर भीड़, अधिकतम मांग के घंटों में उत्पादन में कटौती तथा गैर-सौर घंटों की मांग को पूरा करने जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।
    - InSTS घटक के अंतर्गत सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को **टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB)** प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- **महत्व:** यह योजना वर्ष 2035 तक **900 GW स्थापित गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता** के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी।
    - इससे अधिकतम मांग वाले घंटों के दौरान ऊर्जा की अनिरंतरता की समस्या का समाधान करने और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मांग को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
    - अंतर-राज्यीय नेटवर्क पर विशेष बल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ प्रायः विशिष्ट

NEXT IAS हिन्दी

क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जबकि राज्यों के भीतर मांग शहरों, उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली होती है।

विद्युत पारेषण(Electricity Transmission)

- किसी विद्युत संयंत्र में उत्पन्न विद्युत को वितरण नेटवर्क और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले पारेषण लाइनों के माध्यम से भेजा जाता है।
  - मूलभूत शृंखला इस प्रकार है: **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ⟶ पारेषण नेटवर्क ⟶ वितरण नेटवर्क ⟶ उपभोक्ता।**
- भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में तीव्रता से विस्तार हुआ है, लेकिन कुछ नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों में पारेषण अवसंरचना उसी गति से विकसित नहीं हो पाई है।
  - यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

ग्रिड पारेषण के लिए वर्तमान अवसंरचना

- **जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) फ्रेमवर्क:** यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को तब तक उपलब्ध अतिरिक्त पारेषण क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जब तक उन्हें स्थायी पारेषण कनेक्शन प्राप्त नहीं हो जाता।
  - हालाँकि, **T-GNA परियोजनाएँ** तभी विद्युत का शेड्यूल निर्धारित कर सकती हैं, जब अतिरिक्त पारेषण क्षमता उपलब्ध हो।
- **चिंताएँ:** नेटवर्क पर भीड़ की स्थिति के दौरान दीर्घकालिक GNA परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर T-GNA से जुड़े संयंत्रों के विद्युत उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है।
  - इन परियोजनाओं को अपनी उत्पादन क्षमता के **70-80% तक उत्पादन कटौती** का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता और ऋण भुगतान क्षमता को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न होती है।
- जब ग्रिड उत्पन्न की जा रही पूरी विद्युत को समायोजित करने में सक्षम नहीं होता, तो विद्युत उत्पादन को जानबूझकर कम करना पड़ सकता है। इसे **विद्युत उत्पादन में कटौती** कहा जाता है।

पारेषण परियोजनाओं में समय लगने का कारण

- उत्पादन क्षमता की तुलना में पारेषण अवसंरचना का विकास अधिक जटिल और समय लेने वाला होता है।
- प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:
  - भूमि अधिग्रहण और **राइट ऑफ वे (RoW)** से संबंधित मुद्दे।
  - पर्यावरणीय तथा अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना।
  - पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण में देरी।
  - विशेषीकृत उपकरणों की खरीद।
  - नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स, पारेषण कंपनियों और सरकारों के बीच समन्वय।
  - नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा पारेषण अवसंरचना की कमीशनिंग तिथियों में असंगति।
- इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कोई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हो सकती है, जबकि उसकी समर्पित पारेषण प्रणाली अभी निर्माणाधीन हो।

ग्रिड अवसंरचना की आवश्यकता

- **विद्युत उत्पादन में कटौती:** अपर्याप्त पारेषण क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को उत्पादन कम करने के लिए बाध्य कर सकती है, जिससे स्वच्छ विद्युत की बर्बादी होती है।
- **वित्तीय दबाव:** उत्पादन में कटौती से नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के राजस्व में कमी आती है, जिससे परियोजना ऋण की अदायगी कठिन हो सकती है और भविष्य के निवेश हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **ग्रिड स्थिरता:** सौर और पवन ऊर्जा की अनिरंतर प्रकृति तथा अपर्याप्त पारेषण एवं भंडारण क्षमता के संयुक्त प्रभाव से ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने और विद्युत की आपूर्ति तथा मांग में संतुलन स्थापित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में देरी:** पारेषण संबंधी बाधाएँ भारत की तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के प्रभावी उपयोग को धीमा कर सकती हैं, जिससे वर्ष 2030 के स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है।

सरकार की पहल

- **ग्रिड एकीकरण योजना:** भारत के ग्रिड को **500 GW के लिए ₹2.4 लाख करोड़ की पारेषण योजना** के माध्यम से पुनर्गठित किया जा रहा है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों को मांग केंद्रों से जोड़ा जा रहा है।
  - सरकार **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर** तथा राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से नई उच्च क्षमता वाली पारेषण लाइनों के माध्यम से पारेषण अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दे रही है।

NEXT IAS हिन्दी

- यद्यपि ये परियोजनाएँ बहुवर्षीय प्रयास हैं, लेकिन इनके परिचालन में आने के बाद **200 GW से अधिक नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** को उपयोग में लाने में सहायता मिलेगी।
- **2032 तक का दृष्टिकोण:** सरकार ने पहले ही **हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कॉरिडोर** के निर्माण तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को वर्तमान **120 GW से बढ़ाकर 2027 तक 143 GW और 2032 तक 168 GW** करने की योजना बनाई है।
- **प्रोत्साहन:** उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, घरेलू सामग्री की आवश्यकता , शुल्कों के अधिरोपण तथा पूंजीगत उपकरणों पर शुल्क छूट के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है।
- **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE):** यह सौर फोटोवोल्टिक (PV), सौर तापीय और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ तथा अनुसंधान सहायता प्रदान करता है।
- **राज्य नोडल एजेंसियों (SNAs) के लिए क्षमता निर्माण:** परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और नीतियों के प्रवर्तन के लिए राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार सहायता:** बैटरी भंडारण, हाइब्रिड परियोजनाओं, अपतटीय पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम:** ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए **अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), GIZ** तथा अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग किया जा रहा है।
- **स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन:** वोल्टेज स्थिरता बढ़ाने, प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विश्वसनीय एकीकरण में सहायता के लिए उन्नत ग्रिड सहायता प्रौद्योगिकियों को अपनाने की योजना है।

निष्कर्ष

- विगत दो वर्षों में नीतिगत ध्यान को केवल क्षमता वृद्धि से हटाकर सचेत रूप से प्रणालीगत संरचना और डिजाइन की ओर स्थानांतरित किया गया है।
- ये सुधार पारेषण क्षमता के उपयोग को अनुकूलित करने और अटकी हुई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तीव्रता से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं तथा क्षेत्र की प्रमुख कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में से एक का सीधे समाधान करते हैं।
- नया गलियारा भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण के आगामी चरण की आधारभूत संरचना के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

रामप्पा मंदिर

समाचारों में

- तेलंगाना में विरासत संरक्षण विशेषज्ञ प्रस्तावित गहरे खुले कोयला खनन परियोजना से रामप्पा मंदिर को उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को लेकर चिंतित हैं।

रामप्पा मंदिर

- काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर को लोकप्रिय रूप से **रामप्पा मंदिर** के नाम से जाना जाता है।
- यह तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से लगभग 200 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित **पालमपेट गाँव** में स्थित है।
  - यह मंदिर **भगवान शिव** को समर्पित है।
- इसका निर्माण वर्ष **1213 ईस्वी** में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति **रेचार्ला रुद्र** द्वारा कराया गया था।
  - यहाँ की अधिष्ठात्री देवता **रामलिंगेश्वर स्वामी** हैं।
  - इसे **रामप्पा मंदिर** भी कहा जाता है, जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर पड़ा जिसने 40 वर्षों तक मंदिर में शिल्पकारी का कार्य किया।
- इसे वर्ष **2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

विशेषताएँ

- मंदिर 6 फुट ऊँचे तारे के आकार के चबूतरे पर निर्मित है। इसकी दीवारों, स्तंभों और छतों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है, जो काकतीय शिल्पकारों की विशिष्ट कला-कौशल को प्रदर्शित करती है।
- मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसमें नक्काशीदार ग्रेनाइट और डोलराइट से निर्मित अलंकृत बीम एवं स्तंभ हैं। इसका विशिष्ट पिरामिडाकार **विमान** हल्की और छिद्रयुक्त ईंटों से निर्मित है, जिन्हें **"तैरती हुई ईंटें"** भी कहा जाता है।

NEXT IAS हिन्दी

- काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर की मूर्तियाँ, विशेषकर इसकी **कोष्ठक मूर्तियाँ** , कठोर डोलराइट पत्थर से निर्मित अद्वितीय कलाकृतियाँ हैं। इन पर धातु जैसी चमकदार सतह दिखाई देती है और इनकी चमक आज भी अक्षुण्ण है।

स्रोत: TH

अंतर-संसदीय संघ (IPU)

समाचारों में

- राज्यसभा के उपसभापति **हरिवंश** के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर-संसदीय संघ (IPU) की **153वीं सभा** में भाग लेने के लिए तंजानिया रवाना हुआ है।

अंतर-संसदीय संघ (IPU) के बारे में (मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड)

- IPU राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है, जो संसदीय कूटनीति, लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना वर्ष **1889 में पेरिस** में **विलियम रैंडल क्रेमर (यूके)** और **फ्रेडरिक पासी (फ्रांस)** द्वारा की गई थी।
- इसमें **183 सदस्य संसदें और 15 सहयोगी सदस्य** हैं।
- यह मंच सांसदों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने, सामान्य सहमति बनाने और संवाद को सुदृढ़ करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- IPU भारत को संसदीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारतीय सांसद विश्व भर के अपने समकक्षों के साथ संवाद कर सकते हैं, विश्वास का निर्माण कर सकते हैं तथा शांति, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और लोकतांत्रिक शासन जैसे मुद्दों पर चर्चाओं में योगदान दे सकते हैं।

स्रोत: AIR

PM-SETU: भारत के ITI के रूपांतरण का एक वर्ष

संदर्भ

- **PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs)** योजना के कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा हो गया है।

PM-SETU के बारे में

- वर्ष **2025 में शुरू की गई PM-SETU** एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य **1,000 सरकारी ITI** को आधुनिक और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तित करना है।
- इस योजना का कुल परिव्यय **₹60,000 करोड़** है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹30,000 करोड़, राज्यों द्वारा ₹20,000 करोड़ और उद्योग जगत द्वारा ₹10,000 करोड़ का योगदान शामिल है।
- यह योजना **हब-एंड-स्पोक मॉडल** पर आधारित है, जिसके तहत **200 हब ITI को 800 स्पोक ITI** से जोड़ा गया है।
- **योजना के अंतर्गत:**
  - ITIs के बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल सामग्री के माध्यम से किया जाएगा।
  - उभरती हुई कौशल आवश्यकताओं के आधार पर उद्योग-अनुरूप तथा नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
  - उद्योग-नेतृत्व वाले प्रशासन और क्लस्टर विकास के लिए **एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स** के साथ **विशेष प्रयोजन संस्थाओं (SPVs)** की स्थापना की जाएगी।
  - **भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और लुधियाना (पंजाब)** स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को वैश्विक साझेदारियों के साथ **उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा।

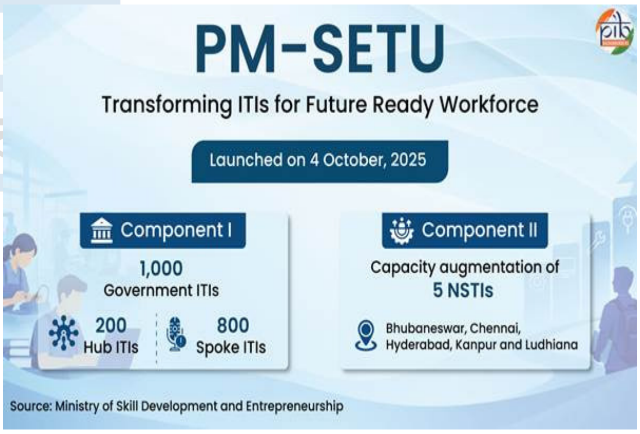

स्रोत: PIB

अमेरिका का AI समझौता

समाचारों में

- अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने **"आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस समझौता: फ्रंटियर उत्तरदायित्वों के प्रति संयुक्त प्रतिबद्धता"** की घोषणा की।

AI समझौता

- यह प्रमुख अमेरिकी AI कंपनियों के बीच एक स्वैच्छिक समझौता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित AI विकास और जनता के विश्वास को बढ़ावा देना है।

- इस पर **गूगल के सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के डारियो अमोडेई, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, OpenAI के ग्रेग ब्रॉकमैन, xAI के एलन मस्क और NVIDIA के जेनसन हुआंग** सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए।
- इसमें तकनीकी कंपनियों द्वारा सुरक्षित AI उत्पाद विकसित करने और जनता का विश्वास कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- इसे लागू करने के लिए चार प्रमुख कदम निर्धारित किए गए हैं, जिनकी शुरुआत निम्नलिखित से होती है:
  - अनपेक्षित AI हैकिंग को रोकने के लिए **मजबूत आंतरिक नियंत्रण** स्थापित करना।
  - कंपनी में सुरक्षा संचालन और समाधान संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने के लिए **एक आंतरिक टीम** का गठन करना।
  - मूल्यांकन के लिए **एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर** के साथ साझेदारी करना।
  - रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए **निदेशक मंडल की एक स्वतंत्र समिति** का गठन करना।
- यह समझौता **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है** और इसके उल्लंघन के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है।

महत्व

- इस समझौते का महत्व AI प्रणालियों के "नियंत्रण से बाहर हो जाने", निजता एवं बाल सुरक्षा से जुड़े जोखिमों तथा AI एजेंटों द्वारा सुरक्षित प्लेटफॉर्म को हैक करने के प्रयासों से जुड़ी घटनाओं के संबंध में बढ़ती चिंताओं के बीच है।

स्रोत: TH

रेबीज़

समाचारों में

- ICMR के नेतृत्व में किए गए और **द लैंसेट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़** में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग **5,726 लोगों की रेबीज़ से मृत्यु** होने का अनुमान है।

रेबीज़ के बारे में

- रेबीज़ 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में, सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक गंभीर समस्या है।
- यह एक **विषाणुजनित, ज़ूनोटिक (पशुजनित), उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी** है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है।
- यह **रेबीज़ वायरस (वंश लिसावायरस, कुल रैब्डोविरिडे)** के कारण होता है।
- रेबीज़ लार के माध्यम से मनुष्यों और जानवरों में फैलता है। इसका संक्रमण सामान्यतः काटने, खरोंचने या श्लेष्मा झिल्ली (जैसे आँख, मुँह या खुले घाव) के सीधे संपर्क से होता है।
- इसके लक्षणों में **बुखार, सिरदर्द, मतली, मतिभ्रम और पानी से डर (हाइड्रोफोबिया)** शामिल हो सकते हैं।
  - एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट हो जाने के बाद रेबीज़ लगभग **100% घातक** होता है।
- भारत में **कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPRE)** का लक्ष्य वर्ष **2030 तक मानव मृत्यु को शून्य** करना है।

स्रोत: TH

अग्निपथ योजना

संदर्भ

- रक्षा बलों ने अग्निपथ योजना के प्रथम बैच के भर्ती कर्मियों के चार वर्ष के कार्यकाल के समापन के करीब पहुँचने पर **सैन्य कार्य विभाग (DMA)** को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रतिक्रिया और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

अग्निपथ योजना

- इसे वर्ष **2022 में शुरू किया गया था** और इसे **टूर ऑफ ड्यूटी योजना** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह **भारतीय सेना में अल्पकालिक भर्ती योजना** है।
- इस योजना के तहत **'अग्निवीर'** नाम से सैनिकों की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। इसके बाद एक बैच के केवल **25% भर्ती कर्मियों को 15 वर्ष की नियमित सेवा** के लिए बनाए रखा जाता है।
- **आयु सीमा:** 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए पात्र हैं।
- यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को **अल्प अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर** प्रदान करती है।
- यह योजना **सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी और युवा प्रोफाइल** को बढ़ाती है।

स्रोत: TH

तुवालु (Tuvalu)

संदर्भ

- तुवालु समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री हीटवेव और मत्स्य संसाधनों में गिरावट जैसी संयुक्त चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह **लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS)** की जलवायु संबंधी असमान रूप से अधिक संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

NEXT IAS हिन्दी

तुवालु के बारे में

- तुवालु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित **नौ छोटे द्वीपों का समूह** है, जिसने वर्ष **1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता** प्राप्त की।
- पूर्व में **एलिस द्वीप समूह (Ellice Islands)** के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित निम्न-ऊँचाई वाले द्वीपों और एटोल का समूह है।
- इस देश की औसत ऊँचाई समुद्र तल से मात्र **1 से 3 मीटर** है, जिसके कारण यह समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, लवणीय जल के अंतःप्रवेश और तूफानी ज्वार जैसी घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- **राजधानी: फुनाफुटी**

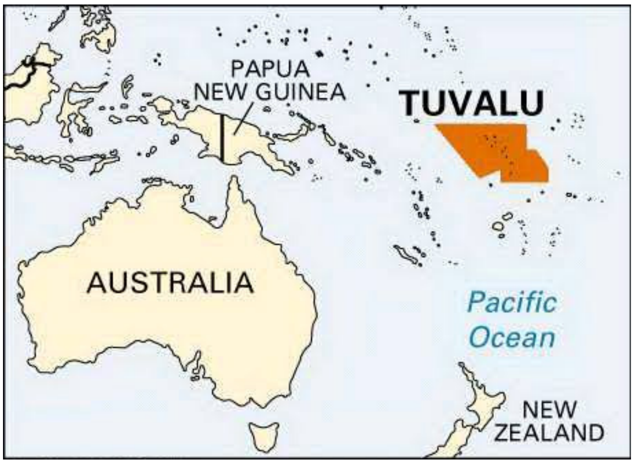

स्रोत: TH

■■■■

NEXT IAS हिन्दी